न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 61/2025

श्री प्रभूलाल मीणा निवासी यशोदानन्दनपुरा की पीपलीवाली ढाणी पोस्ट तुर्किया तहसील निवाई जिला टोंक --अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक – प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 4.09.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 09.03.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:–

1. खसरा न. 141, 160, 170, 176, 189, 270, 271, 298, 321, 48, 8, 130, 175 गाँव यशोदानंदनपुरा, पटवार हल्का तुर्किया, भू–अभिलेख निरीक्षक दत्तवास त.–निवाई जिला टोंक में स्थित भूमि की सन् 1947 से लेकर 2007 तक की जमाबंदी की सत्यापित प्रतिलिपियाँ प्रदान करने की कृपा करे।
2. खसरा नं. 317, 139, 160, 165, 174, 232, 238, 242, 243, 290, 313, 315, 60, 70, 98, 96, 42, 4, 40 ग्राम चिमनपुरा, पटवार हल्का दहलोद, भू–अभिलेख निरीक्षक करेड़ा बुजुर्ग, त.–निवाई जिला टोंक में स्थित भूमि की सन् 1947 से लेकर 2007 तक की जमाबंदी की सत्यापित प्रतिलिपियाँ प्रदान करने की कृपा करे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 1347 दिनांक 21.07.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 718 दिनांक 30.07.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन वर्तमान अति0 जिला कलेक्टर, टोंक के ऑनलाईन पोर्टल पर ना कर अन्य ऑनलाईन पोर्टल पर किये जाने से प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। अपीलाण्ट द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध तहसीलदार निवाई से होने से उनके पत्र कमांक 699 दिनांक 17.07.2025 से प्रार्थना पत्र को अन्तरित करते हुए पत्र कमांक 700 दिनांक 17.07.2025 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई जिला टोंक को पत्र कमांक 1481 दिनांक 31.07.2025, 1606 दिनांक 13.08.2025 तथा 1692 दिनांक 28.08.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई द्वारा आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस

708

जिला कलेक्टर
टोंक

निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई जिला टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक, लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई जिला टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक